

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :- 01/स्था0-66/2006 ज0सं0 (खण्ड-I)-

राँची, दिनांक :-

आदेश

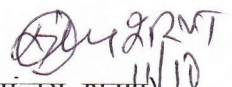
श्री दीपक कुमार सिन्हा, अधीक्षण अभियंता, नहर एवं नहर संरचना अंचल, राँची को अपने मूल कार्य के अतिरिक्त कार्यहित में विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग के तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. इसके लिए अलग से किसी तरह का वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
4. उक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव महोदय का आदेश प्राप्त है।


(संजय शरण)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :- 01/स्था0-66/2006 ज0सं0 (खण्ड-I)- 5799 राँची, दिनांक :- 11-10-22

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक), झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग-(I) एवं (II)/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/ बेम मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/ श्री दीपक कुमार सिन्हा, अधीक्षण अभियंता, नहर एवं नहर संरचना अंचल, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजय शरण)
सरकार के अवर सचिव